

झारखण्ड सरकार  
परिवहन आयुक्त कार्यालय

एफ० एफ० पी० भवन, धुर्वा, राँची

पत्रांक:-03/ परि०आ०(प्रति.)-08/21 199 /राँची  
प्रेषित,

दिनांक 02-03-2021

श्री पुरुषोत्तम दास साबू  
पता-पो०मुरहू, जिला-खूंटी,  
पिन-835216।

विषय : मार्ग जे.के. रोड से राँची पर श्री सुशांत कुमार पांडा के वाहन सं- OD09B7777 के पक्ष में ओडिशा परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रकाशित समय सारणी पर आपत्ति के संबंध में।


उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मार्ग जे.के. रोड से राँची पर श्री सुशांत कुमार पांडा के वाहन सं- OD09B7777 के पक्ष में ओडिशा परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रकाशित समय सारणी पर पर आपके द्वारा आपत्ति की गई है।

आपके द्वारा समर्पित आपत्ति में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है-

1. राँची प्रस्थान पर टकराव की स्थिति
2. अधिसूचित मार्ग में उल्लेखित वाया के अनुरूप परमिट में समय सारणी अंकित नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि राँची प्रस्थान में दोनों वाहनों के परिचालन में 55 मिनट का अंतराल है, अतः बिन्दु क्रमांक 01 विचार योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त इस प्राधिकार द्वारा प्रकाशित समय सारणी पर अधिसूचित मार्ग में उल्लेखित वाया के अनुरूप ही समय सारणी का प्रकाशन किया गया है। अतः बिन्दु क्रमांक 02 पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

तदालोक में निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त यदि कोई अन्य बिन्दु इस प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक हों, तो 07 (सात ) दिनों के अन्दर आवेदन दाखिल करना सुनिश्चित करें।

  
संयुक्त परिवहन आयुक्त,  
झारखण्ड